अध्याय – VIII

श्रम शक्ति प्रबंधन

विरासत संरक्षण में शामिल किसी भी अभिकरण हेतु सुप्रशिक्षित, अनुभवी तथा पर्याप्त श्रमशक्ति की पूर्व अपेक्षित आवश्यकता है। हमने पाया कि भारत में विरासत संरक्षण के कार्यो में लगे संगठन तकनीकी श्रमशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहे थे।

8.1 भा.पु.स. में श्रमशक्ति प्रबंधन

8.1.1 श्रमशक्ति की कमी

विभिन्न संवर्गों में तैनात कर्मचारियों की तुलना में संस्वीकृत कार्यबल की समग्र स्थिति ने स्टाफ की भारी कमी को प्रकट किया। समय के बीतने के साथ, भा.पु.स. में कार्य प्रोफाइल तथा कार्य क्षेत्र में बड़ें बदलावों को देखा गया था। इसने प्रतिकूल रूप से संगठन के निष्पादन तथा उत्पादन को प्रभावित किया। श्रम शक्ति की कमी 21.4 *प्रतिशत* से 41.7 *प्रतिशत* के बीच थी जैसा नीचे तालिका मे दिया गया है:

तालिका 8.1 भा.पु.स. की श्रमशक्ति की स्थिति

क्र.सं.	पदों का वर्गीकरण	संस्वीकृत कार्यबल	भरे गए	रिक्त	रिक्तता की प्रतिशतता
1.	वर्ग क	235	137	98	**41.7**
2.	वर्ग ख	459	328	131	**28.5**
3.	वर्ग ग	1599	1257	342	**21.4**
4.	वर्ग घ	6152	4275	1877	**30.5**
कुल		**8445**	**5997**	**2448**	**28.9**

हमने पाया कि अपर महानिदेशक पुरातत्व के चार पद तथा संयुक्त महानिदेशक के 18 पद, जिन्हें 2011 में नव सृजित किया गया था, अपने सृजन से रिक्त पड़े थे।

8.1.2 संरक्षण हेतु क्षमता निर्माण

उपयुक्त प्रशिक्षण तथा परियोजना के माध्यम से स्टाफ का क्षमता निर्माण संरक्षण कार्यों के उपयुक्त निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। विरासत संरक्षण हेतु पर्याप्त विशेषज्ञता, तकनीकी ज्ञान तथा गहन पर्यवेक्षण अपेक्षित है।

हमने पाया कि भा.पु.स. के पास संरक्षण कार्य हेतु पूर्ण सवंर्ग था। यह अभियन्ताओं तथा संरक्षकों के विभिन्न तकनीकी पदों के अतिरिक्त निदेशक (संरक्षण) से फोरमैन (निर्माण कार्य) के बीच विस्तृत था। उप-परिमण्डल कार्यालयों की अध्यक्षता संरक्षण सहायकों द्वारा की जा रही थी, जो सहायक/उप-अधीक्षक अभियंताओं के निर्देशन के अंतर्गत फोरमैन की मदद से स्मारकों पर संरक्षण कार्यों को पूरा करने हेतु उत्तरदायी थे। बागवानी तथा विज्ञान शाखाओं में क्रमशः पर्यावर्णीय तथा रासायनिक संरक्षण कार्यों को पूरा करने हेतु तकनीकी रूप से योग्य स्टाफ था।

8.1.3 तकनीकी संवर्ग में रिक्तियाँ तथा कमियाँ

तीन मुख्य संरक्षण शाखाओं के संस्वीकृत कार्यबल में मुख्य रूप से पुरातत्व विज्ञानी, अभियंता, बागवानी विशेषज्ञ तथा रासायनिक वैज्ञानिकों के तकनीकी पद सम्मिलित है। यहाँ तक कि वर्ग 'घ' स्तर पर स्मारक एवं उद्यान सहायकों ने भी स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन शाखाओं की स्टाफ स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 8.2 संरक्षण शाखाओं में रिक्तियों के विवरण

	संस्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
संरक्षण शाखा	503	369	134
बागवानी शाखा	114	106	8
विज्ञान शाखा	140	123	17
कुल	757	598	159

इस प्रकार, संरक्षण कार्यों हेतु 757 संस्वीकृत पदों में से 159 पद (21 *प्रतिशत*) रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, बागवानी शाखा में उद्यान सहायक के 1267 पदों में से 246 पद (19 *प्रतिशत*) रिक्त थे।

संसदीय स्थायी समिति ने 2005 की अपनी रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण तकनीकी संवर्गों में रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की थी।

8.1.4 स्मारक सहायकों की कमी

भा.पु.स. के स्मारक सहायक वनस्पति निकासी, सफाई, धूल झाड़ने, झाडू लगाने, आंगतुकों को नियंत्रित करने, प्रवेश टिकटों की बिक्री में सहायता प्रदान करने आदि सहित स्मारकों के दैनिक अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी थे। भा.पु.स. के पास 3678 वर्तमान स्मारक थे। 3458 संस्वीकृत पदों में से स्मारक सहायकों के 1279 (37 *प्रतिशत*) पद रिक्त थे। परिणामस्वरूप अधिकांश स्मारकों में पूर्ण कालिक गार्ड नहीं थे। स्मारकों में चोरी, अतिक्रमण, अप्राधिकृत निर्माण आदि के मामलों,

जिन पर **अध्याय 9** में चर्चा की गई है, को कर्मचारी बल में स्मारक सहायकों की कमी के रूप में आरोपित किया जा सकता है।

8.1.5 कार्य का वितरण

संरक्षण सहायकों के बीच कार्य का वितरण अनियमित था, तथा कुछ मामलों में संरक्षण सहायक के पास उसके नियंत्रण के अंतर्गत भौगोलिक रूप से फैले 50 से अधिक स्मारक थे। इसने नियमित पर्यवेक्षण तथा कड़ी मॉनीटरिंग के कार्य को वास्तव में असंभव कर दिया। उदाहरणार्थ, आगरा परिमण्डल में एक संरक्षण सहायक के नियंत्रण के अंतर्गत स्मारक, परिमण्डल कार्यालय से 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक तथा विभिन्न जिलों में फैले थे।

8.1.6 तकनीकी स्टाफ का प्रशासनिक कार्यों हेतु उपयोग

संरक्षण सहायक (सं.स.) का संवर्ग स्मारक के अनुरक्षण, सुरक्षा तथा रख-रखाव हेतु महत्वपूर्ण संवर्ग है। हमने पाया कि सं.स. पर प्रशासनिक कार्यों अर्थात् राजस्व की दैनिक प्राप्तियां एवं जमा, सुरक्षा की मॉनीटरिंग, कानूनी मामलों को संभालना, अप्राधिकृत निर्माण को नोटिस जारी करना तथा अन्य नियमित कार्य से अधिक भार डाला गया था। इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों ने चालू संरक्षण कार्यों के प्रलेखन, निष्पादन तथा पर्यवेक्षण की उनकी मुख्य जिम्मेदारी हेतु उनके पास उपलब्ध समय को काफी हद तक कम किया।

8.1.7 अस्पष्ट रिपोर्टिंग: श्रेणी बद्धता

विज्ञान शाखा में तीन प्रभागीय कार्यालय (प्रत्येक की अध्यक्षता एक अधीक्षक पुरातत्वविज्ञानी रसायनज्ञ (अ.पु.र.) द्वारा की जाती है) तथा 11 क्षेत्रीय कार्यालय (जिनकी अध्यक्षता उप अधीक्षक पुरातत्वविज्ञान रसायनज्ञ (उ.अ.पु.र.) द्वारा की जाती है) थे। प्रभागीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को श्रेणीबद्ध करने हेतु कोई विशिष्ट मापदण्ड नहीं था। कुछ क्षत्रीय कार्यालय (यथा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली) सीधे निदेशक (विज्ञान) को रिपोर्ट कर रहे थे, जबकि अन्य (यथा क्षेत्रीय कार्यालय पटना) संबंधित प्रभागीय कार्यालय को रिपोर्ट कर रहे थे। इसी प्रकार, अधिकार क्षेत्र की सीमा भी एक क्षेत्रीय कार्यालय के मुकाबले दूसरे से अलग थी। कुछ केवल एक परिमण्डल में स्मारकों की देख भाल कर रहे थे जबकि अन्य मामलों में, अधिकार क्षेत्र कुछ परिमण्डलों तक फैला था।

8.2 रिक्त पदों को भरने के प्रयास

8.2.1 समितियों की अनुशंसाएं

भा.पु.स. के श्रमशक्ति प्रबंधन की अतीत में कई समितियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई थी जैसा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 8.3 श्रमशक्ति पर समितियों की अनुशंसाएं

क्र.सं.	समिति	वर्ष	अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई
1.	व्हीलर समिति	1965	लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई
2.	लोक सभा अनुमान समिति	1973-74	इन समितियों की अनुशंसाओं को जब तक अपनाया गया वह पहले ही पुरानी हो गई थीं।
3.	पुरातत्व विशेषज्ञ समूह, मिर्धा समिति	1983-84	समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थीं
4.	पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग	1997	भा.पु.स. में एक केन्द्रीय पुरातात्विक सेवा जिसमें पुरातत्व विज्ञानी, वैज्ञानिक, पुरालेखशास्त्री तथा संरक्षकों के संवर्ग शामिल हो, की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। अनुशंसाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया
5.	प्रोफेसर बी.बी. लाल के अधीन समीक्षा समिति	2001	अनुशंसाओं को भारत सरकार द्वारा विस्तृत रूप से स्वीकार कर लिया गया था परंतु किसी भी अनुशंसा का अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया
6.	मोईली समिति	फरवरी2010	अनुशंसाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया

हम इन अनुशंसाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर सके। इसने भा.पु.स. के कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

8.2.2 कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती

हमने पाया कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती को अभी भी कार्यान्वित किया जाना था (नवम्बर 2012) क्योंकि भा.पु.स. तथा कर्मचारी चयन आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु अंक मापदण्ड की प्रतिशतता के संबंध में करार को अंतिम रूप नहीं दे सके थे। परिणामस्वरूप, 178 के संस्वीकृत पदों के प्रति विभिन्न संवर्गों में 80 रिक्तियां थीं।

8.2.3 सलाहकारों की नियुक्ति

विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, भा.पु.स. ने सक्षम प्राधिकारी अर्थात आई.एफ.डी. से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् संरक्षण, कानूनी, मानव

संसाधन, आदि में 21 सलाहकारों की नियुक्ति भी की थी। भा.पु.स. ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान 31 डाटा एन्ट्री आपरेटरों, आशुलिपिकों, बावर्ची आदि को आउटसोर्स भी किया था।

हमने पाया कि परिमण्डलों में ये सभी संविदात्मक नियुक्तियां नियमित कार्यालय कार्य के लिए थी न कि भ.पु.स. के मूल कार्यों के लिए। इसलिए, सलाहकारों की नियुक्ति से भी महत्वपूर्ण संवर्गों में कमियों को पूरा नहीं किया जा सका था।

8.2.4 भर्ती नियमावली का गैर -निर्धारण

हमने पाया कि नए सृजित अपर महानिदेशक पुरातत्व के चार पद (2011) तथा संयुक्त महानिदेशक के अठारह पद रिक्त थे, क्योंकि अभी तक भर्ती नियमावली (भ.नि.) तैयार नहीं की गई थी। आगे उप-अधीक्षक पुरातत्व अभियंता के 14 पद, एक उप-अधीक्षक पुरालेखशास्त्री (संस्कृत शिलालेख), दो वरिष्ठ कलाकारों, चार मूतिकार ग्रेड-।।, दो मैकनिक तथा कई वर्ग 'घ' के पद रिक्त थे, क्योंकि भर्ती नियमावली संशोधन के अधीन थी।

पुरातत्व संस्थान को 1958-59 में स्थापित किया गया था। इसके उन्नयन के एक भाग के रूप में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 1985 से विभिन्न वर्गों में 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। इन पदों को भी भर्ती नियमावली गैर-निर्धारण के कारण भरा नहीं गया था। इस कार्य को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी तथा परिणामस्वरूप, पद रिक्त पड़े रहे।

8.3 वैज्ञानिक विभाग की स्थिति प्राप्त करने में विफलता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित समूह की अनुशंसाओं के अनुसार, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भा.पु.स. को मई 1989 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय संस्थान के रूप में स्वीकृत किया। भा.पु.स. को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1989 की अधिसूचना के माध्यम से "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग" के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। हमने पाया कि इस उद्देश्य हेतु वेज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों, कार्यों, गतिविधियों, निदेशकों एवं मुख्य उद्यान विशेषज्ञ के अनुसंधान पर सूचना को निर्धारित प्रोफार्मा में मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, भा.पु.स. नवम्बर 2012 तक यह डाटा एकत्रित करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप, विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के ढांचे में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

8.4 क्षेत्रीय महानिदेशालयों के कार्य

महानिदेशक (म.नि.) तथा फील्ड कार्यालयों के बीच अंतर्संबंध के रूप में कार्य करने की दृष्टि से पांच क्षेत्रीय निदेशकों (क्षे.नि.) को संगठित किया गया था (अप्रैल 2009)। क्षे.नि. कार्यालय का कार्य फील्ड कार्यालयों का निदेशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना था। हमने पाया कि क्षेत्रीय

निदेशक सहायक स्टाफ के बिना कार्य कर रहे थे, तथा अधिकांश मामलों में अधीक्षक पुरातत्वविद् क्षेत्रीय निदेशकों का अतिरिक्त कार्य भार संभाल रहे थे।

इस प्रकार रिक्तियों को भरने हेतु भा.पु.स. के प्रयास अपर्याप्त पाए गए थे। मंत्रालय भी इस अत्यावश्यक मामले का निपटान करने हेतु अपेक्षित पर्यवेक्षण प्रदान करने में विफल रहा।

8.5 संग्रहालयों का श्रमशक्ति प्रबंधन

इसी प्रकार यह पाया गया कि संग्रहालयों में भी अपर्याप्त स्टाफ था। संग्रहालयों में संस्वीकृत तथा रिक्त पदों के विवरण निम्नानुसार थे:

तालिका8.4रिक्त पदों की स्थिति

क्र.स.	संग्रहालय का नाम	संस्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्तियों की अवधि
1.	राष्ट्रीय संग्रहालय	276	122	कुछ पद 1983 से रिक्त थे
2.	इलाहाबाद संग्रहालय	86	15	उपलब्ध नहीं
3.	सालारजंग संग्रहालय	166	39	एक साल सात महीनों से 16 वर्ष
4.	भारतीय संग्रहालय	209	60	उपलब्ध नहीं
5.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	176	53	चार महीनों से 25 साल एक महीने
6.	एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता	257	45	चार महीनों से दो साल तीन महीने

राष्ट्रीय संग्रहालय सितम्बर 2007 से 2011 के दौरान, एक पूर्णकालिक महानिदेशक के बिना रहा।

अनुशंसा 8.1: *मंत्रालय को श्रमशक्ति की कमियों, विशेष रूप से संरक्षण संबंधी कार्यों में लगे महत्वपूर्ण संवर्गों में, का समाधान करने हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए।*

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2013) कि दीर्घ अवधि आधार पर श्रमशक्ति की कमी का निपटान करने हेतु भा.पु.स. के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

8.6 रा.सं.प्रा. में श्रमशक्ति प्रबंधन

8.6.1 सदस्यों के चयन में अनियमितताएं

रा.सं.प्रा. के पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति हेतु कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति में तीन विशेषज्ञ अर्थात् प्रोफेसर ए.जी.के. मेनन (संरक्षण विशेषज्ञ), प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी (सुप्रसिद्ध कला इतिहासकार) तथा श्री बाल कृष्ण दोशी (श्रेष्ठ वास्तुकार) शामिल थें। **भा.पु.स. इन तीन विशेषज्ञों के चयन के आधार के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाया।**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) ने अपने पत्र 22 जून 2010 के माध्यम से निर्देश दिया था कि प्राधिकरण के चयन के समय अधिकतम आयु 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।

तथापि, सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन की माँग करते हुए म.नि. भा.पु.स. द्वारा जारी विज्ञापन में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया था तथा उल्लेखित अधिकतम आयु 67 वर्ष थी। यद्यपि विज्ञापन में ये 'गलतियाँ', आवेदनों के जाँच प्रक्रिया से पहले देख ली गई थीं, तथा प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के निर्देशों को शामिल करने के पश्चात एक नया विज्ञापन जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, फिर भी म.नि. भा.पु.स. ने गलत विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के साथ जाने का ही निर्णय लिया।

भारत सरकार (प्र.का.वि.) के निर्देशों का पालन न करने के कारण किसी भी स्तर पर दर्ज नहीं किए गए थे।

दिलचस्प बात है कि, भा.स.प्रा. के सदस्यों हेतु आवेदन, प्रमाणित अनुभव तथा अपने निम्नलिखित विषयों में विशेषज्ञता वाले श्रेष्ठ व्यवसायिकों से आमंत्रित की गई थी।

- पुरातत्व,
- देश एवं शहर योजना,
- वास्तुकला विरासत,
- संरक्षण वास्तुकला अथवा
- विधि

विषयों के इस चयन को स्पष्ट करने हेतु अभिलेख में कुछ नहीं था, विज्ञापन में न्यूनतम अनुभव के विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया था। हम "विधि" को विशेषज्ञता के एक विषय के रूप में शामिल करने के कारणों का मूल्यांकन नहीं कर सके क्योंकि इस कार्य में जटिल विधि मामले नहीं थे।

अक्तूबर 2010 में 10 समाचार पत्रों में जारी एक विज्ञापन के उत्तर में 163 आवेदन प्राप्त किए थे जिनका इन तीन विशेषज्ञों द्वारा चयन किया गया था, तथा चयन समिति द्वारा 15 चयनित उम्मीद्वारों को साक्षात्तकार हेतु बुलाया गया था। 15 चयनित उम्मीदवार वह उम्मीदवार थे जिनका चयन या तो तीनों विशेषज्ञों द्वारा या दो विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। हमने अभिलेख में चयनित उम्मीदवारों की केवल सूचियाँ पाई जिसमें 13 तथा अन्य में 15 की संख्या का उल्लेख था। तथापि, प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी द्वारा चयनित उम्मीवारों की सूची अभिलेख में नहीं पाई गई थी। इसकी अनुपस्थिति में, तीन विशेषज्ञों द्वारा चयनित उम्मीदवारों की वास्तविकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह भी अभिलेख में नहीं था कि किस आधार पर इन तीनों विशेषज्ञों द्वारा यह चयन किया गया था।

163 उम्मीदवारों की सूची भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं थी क्योंकि एक उम्मीदवार डा. वी.एन. परांजपे का नाम सूची में तीन बार उल्लेख किया गया था। इसके कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। कैबनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया तथा अंततः केवल एक पूर्ण कालिक तथा दो अंशकालिक सदस्यों का चयन किया।

8.6.2 पदों का न भरा जाना

रा.स.प्रा. हेतु तेरह पद संस्वीकृत किए गए थे, तथापि यह पाया गया कि 13 संस्वीकृत पदों में से केवल तीन पद अर्थात् सदस्य सचिव, प्रशासनिक अधिकारी तथा फोटों अधिकारी[57], भरे गए थे तथा शेष 10 पद रिक्त थे। पूर्ण कालिक कर्मचारियों के अभाव में, रा.स.प्रा. ने भर्ती अभिकरण के माध्यम से लिपिक तथा वर्ग IV स्टाफ को रखने के अतिरिक्त ₹15000/- से ₹50,000 के बीच के मासिक पारिश्रमिक वाले 19 सलाहकारों को रखा। कुछ पदों को न भरने का एक कारण उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदनों की गैर-प्राप्ति था क्योंकि भा.पु.स. में समान पदों[58] हेतु वेतनमान रा.सं.प्रा. से अधिक है। रा.सं.प्रा. ने भा.पु.स. के बराबर वेतनमानों को निर्धारित करने हेतु भा.पु.स. तथा मंत्रालय के साथ कभी मामला नहीं उठाया।

इस प्रकार, जबकि भा.पु.स. ने निष्पादन में लगभग सभी कमियों को उपयुक्त श्रमशक्ति को अरोपित किया फिर भी मंत्रालय ने परिस्थिति को सुधारने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। यह इस बात का द्योतक है कि मंत्रालय इस महत्वपूर्ण मामले पर पर्याप्त पर्यवेक्षण करने में विफल था।

---

57 सदस्य सचिव ने नवम्बर 2010 में अतिरिक्त कार्य भार संभाला है तथा मार्च 2011 में पूर्ण कार्य भर पुनः ग्रहण किया है। दोनों अन्य अधिकारी जून-जुलाई 2011 से भा.पु.स. से प्रतिनियुक्ति पर है।

58 भा.पु.स. में 4600 तथा रा.स.प्रा. में 4200 के ग्रेड वेतन वाले वास्तुशिल्पीय आरेखन अधिकारी तथा सर्वेक्षण अधिकारी के पद